न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः 28/2016 GCMS No.–2016/00204

सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

प्रभाती देवी पत्नी स्व. नानगराम जाति मीना निवासी धन्ना फैली की ढाणी, ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट, जिला दौसा, हाल निवासी सी–53, बालनगर, करतारपुरा, जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 वास्ते निरस्त किये जाने आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश बाबत खसरा नंबर 349 रकबा 2.52 हैक्टेयर वाके ग्राम दौलतपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

उपस्थितः–

1. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 07.02.2023

तहसीलदार जमवारामगढ ने जरिये पत्रांक भू.अ./2014/6400 दिनांक 10.11.2014 द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के आदेश दिनांक 30.06.1981 जिससे प्रहलाद पुत्र हनुता जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील जमवारामगढ को ग्राम दौलतपुरा, तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 128 में से रकबा 10 बीघा का आवंटन किया गया, से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या– 2 की ओर से श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। प्रकरण में तहसीलदार आंधी से मौका रिपोर्ट पत्रांक 417 दिनांक 05.01.2023 द्वारा प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 30.06.1981 को प्रहलाद पुत्र हनुता जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील जमवारामगढ को ग्राम दौलतपुरा तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी स्थित भूमि खसरा नंबर 128 में से रकबा 10 बीघा भूमि राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के

अर्न्तगत आवंटन की गयी उक्त भूमि में 1 बीघा भूमि काबिल काश्त व शेष 9 बीघा भूमि मौके पर गै.मु.पहाड के रूप में है जो पशुओ की चराई के काम आ रही है। उक्त भूमि आवंटन निरस्त करने योग्य है। उक्त आवंटित भूमि का आवंटी के हक में नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 03.06.1981 को गैर खातेदारी का स्वीकार कर दिय गया, जो आवंटन नियमों के विपरीत है, एवं काबिज खारिज है। इसके पश्चात आवंटी को नामान्तकरण संख्या 263 दिनांक 03.06.1993 के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये जो आवंटन नियमों के विपरीत है एवं काबिज खारिज है। आवंटी द्वारा उक्त भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 31.03.2012 को अप्रार्थी प्रभाती देवी को बेचान कर दिया गया। अप्रार्थीया के हक में नामान्तकरण संख्या 599 दिनांक 21.05.2012 को स्वीकार होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। वर्तमान में ग्राम दौलतपुरा में मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नंबर 128/2 रकबा 10 बीघा के नवीन खसरा नंबर 349 रकबा 2.52 हैक्टैयर बने है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त नहीं है एवं रिपोर्ट पटवारी दिनांक 25.07.2014 अनुसार आवंटी का कब्जा भी नहीं रहा है साथ ही ग्रामवासियो द्वारा समय–समय पर शिकायते भी जाती है। अतः तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निवेदन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने एवं विवेचित भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं कर पाने/कब्जा काश्त नहीं करने के कारण आवंटन सलाहकार समिति आदेश दिनांक 30.06.1981 द्वारा आवंटी प्रहलाद पुत्र हणुता जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा के हक में ग्राम दौलतपुरा हाल तहसील आंधी स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 128 में रकबा 10 बीघा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि दिनांक 30.06.1981 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम दौलतपुरा स्थित प्रश्नगत भूमि का आवंटन प्रहलाद पुत्र हणुता जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा को विधिक रूप से ही किया गया है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत है। उक्त 9 बीघा भूमि मौके पर गै.मु.पहाड के रूप में होना अस्वीकार है जो तहसीलदार आंधी की रिपोर्ट से भी जाहिर है। उक्त भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में कभी भी गै.मु. पहाड नहीं रही एवं सिवायचक भूमि ही अप्रार्थी को अलॉट की गयी है। आवंटी के हक में प्रश्नगत भूमि के गैर खातेदारी एवं दस वर्ष पश्चात खातेदारी नामान्तकरण स्वीकार हुए है। आवंटी द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी प्रभाती देवी को दिनांक 31.03.2012 को जरिये रजि0 बेचान विक्रय किया गया एवं अप्रार्थी आदिनांक को काबिज काश्त है। उक्त प्रार्थना पत्र रंजिशवश की गयी शिकायत के आधार पर अवधि बाधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। खातेदारी प्राप्त होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत उक्त प्रार्थना पत्र नियम 14(4) की परिधि में नहीं आता है। आवंटित भूमि मौके पर गै.मु.पहाड नहीं है

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

एवं पहाड के खसरा नंबर अलग है। आवंटी को आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से प्रतिबंधित भूमि नहीं है। कब्जे के संबंध में आवंटी द्वारा गिरदावरी संवत् 2039–42 व 2043–46 में जौ व पुष्प की कृषि दर्शित की गई है तथा संवत् 2059–62 में तारामीरा की कृषि 8 बीघा पर दर्शित की गयी है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 23.12.2022 द्वारा तहसीलदार आंधी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.01.2023 से स्पष्ट है कि वर्तमान में अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। जिससे स्पष्ट जाहिर है कि पूर्व में रिपोर्ट पटवारी दिनांक 25.07.2014 गलत बनाई गई है। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा झूठी शिकायतो के आधार पर ही अप्रार्थी के विरूद्ध 14(4) का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **2018(1)RRT 299 Board of revenue 2011(1)RRT 383 High court, 2011(2) RRT 1205 Raj. High court, 2011(2)RRT 1144 Board of revenue** आदि पेश किये गये।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्धद दस्तावेजात, तहसीलदार आंधी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में आवंटी प्रहलाद पुत्र हनुता जाति मीणा निवासी ग्राम दौलतपुरा को ग्राम दौलतपुरा, हाल तहसील आंधी के आराजी खसरा नंबर 128 में 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके हाल खसरा नंबर 349 रकबा 2.52 हैक्टेयर है। आवंटी प्रहलाद के हक में गैर खातेदारी नामान्तकरण संख्या 111 दिनांक 03.06.1981 को एवं खातेदारी नामान्तकरण संख्या 263 दिनांक 03.06.1993 को तस्दीक हुआ। आवंटी द्वारा अप्रार्थी को किये गये रजि0 बेचान का नामान्तकरण संख्या 599 दिनांक 21.05.2012 तस्दीक हुआ। प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार आंधी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2023 अनुसार खसरा नंबर 349 रकबा 2.52 हैक्टेयर में से 1.17 हैक्टेयर भूमि समतल है, जिसमें टिन शेड डालकर 2 पक्के कमरे व कुछ भाग जोत लगा कर तथा तार फेंसिंग कर खातेदार काबिज काश्त है तथा लगभग 1.12 है भूमि ढलाननुमा पहाड स्थित है व शेष भूमि का लगभग 0.23 है0 भूमि ढलान नुमा पहाड की तलहटी में समतल है। उक्त रिपोर्ट से जाहिर है कि वर्तमान में अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त है एवं तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्य वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार उचित प्रतीत नहीं होते है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से जाहिर है कि आवंटी द्वारा गिरदावरी संवत् 2039–42 व 2043–46 में जौ व पुष्प की कृषि दर्शित की गई है तथा संवत् 2059–62 में तारामीरा की कृषि 8 बीघा पर दर्शित की गयी है जिससे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

कि आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में आवंटी को तत्समय आवंटित भूमि की किस्म सिवाय चक थी एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार भी बारानी अंकित है। जिससे जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण में आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि नहीं है। **RRT 2018(1) Page no. 299** राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अनुसार आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त होने के बाद आवंटन निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। **2011(2) RRT** पेज नंबर 1144 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अभिलिखित है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1970 नियम 14(4) दीर्घ कब्जा काश्त देखते हुए अपीलाण्ट को भूमि आवंटित की तथा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। केवल तकनीकी आधारो पर नामान्तकरण निरस्त किया– गैर मुमकिन पहाड/डूंगरी का आवंटन निषेध नहीं है, अपीलांट भूमि काश्त कर रहा है और खसरा गिरदावरी में फसल दिखाई एक ही बार में सम्पूर्ण भूमि काश्त करना आवश्यक नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत को मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आंधी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर